मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४

(क्रमांक १८ सन् १९७४)

के सम्बन्ध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक सहित)

भोपाल

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

१९७५

विषय सूची

		पृष्ठ
१.	प्रवर समिति का गठन	२
२.	प्रवर समिति का प्रतिवेदन	४
३.	विमति टिप्पणी	७–८
४.	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रदेश लोक-आयुक्त एवं उप लोक-आयुक्त विधेयक, १९७४ (क्रमांक १८ सन् १९७४).	१–२३
५.	परिशिष्ट १—प्रवर समिति को सौंपने हेतु विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव.	२४
६.	परिशिष्ट २—उन व्यक्तियों के नाम जिनसे सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई थीं.	२५
७.	परिशिष्ट ३—समिति द्वारा महाराष्ट्र (बम्बई) व राजस्थान (जयपुर) राज्यों के लोक आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों, जिनसे चर्चा हुई, की सूची.	२६

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७४

(क्रमांक १८ सन् १९७४)

(प्रवर समिति का गठन)

सभापति

१. श्री नित्येंद्रनाथ शील.

सदस्य

२. श्री रामचन्द्र वाजपेई.
३. श्री रघुवर दयाल रसोईया.
४. श्री मधुकर मरमट.
५. श्री प्रतापसिंह बघेल.
६. श्री कस्तूरचन्द चौधरी.
७. श्री मृगेंद्र सिंह.
८. श्री बोधराम कंवर.
९. श्री हीराराम वर्मा.
१०. श्री सत्यनारायण सिंह.
११. श्री गोपालदास चौधरी.
१२. श्री इनायतउल्ला खां तरजी मशरिकी.
१३. श्रीमती नारायणी देवी.
१४. श्री कन्हैयालाल शर्मा.
१५. श्री एन. व्ही. रमन.
१६. श्री शीतला सहाय.
१७. श्री लरंग साय.
१८. श्री सीताराम ढांडी.
१९. श्री सुधीर मुकर्जी.
२०. श्री लक्ष्मीनारायण नायक.
२१. श्री नरबदा प्रसाद श्रीवास्तव.
२२. श्री प्रकाशचन्द सेठी (मुख्य मंत्री).
२३. श्री कृष्णपाल सिंह (विधि मंत्री).

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

१. श्री मो. आर. सिद्दीकी, सचिव,
श्री म. मलीम, उप सचिव,
नवर सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग

४. श्री एस. एन. राव, सचिव, सामान्य प्रशास विभाग.

५. श्री पी. सी. सेन, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

विधान सभा सचिवालय

१. श्री कैलाशकिशोर गुप्ता, सचिव.

२. श्री र. सक्सेना, विशेष सचिव.

३. श्री बलवन्त सहाय, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ (क्रमांक १८ सन् १९७४), निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, उसके इस प्रतिवेदन को प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं.

२. विधेयक * विधान सभा में दिनांक २४ अप्रैल, १९७४ को पुरःस्थापित किया गया था. तथा उसी दिनांक को श्री प्रकाशचन्द सेठी, मुख्य मंत्री द्वारा विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव (परिशिष्ट १) किया गया, जिस पर सदन में विचार किया गया और उसे उसी दिन स्वीकार किया गया.

३. सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी. मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ७३ (१) के अनुसार समिति द्वारा आगामी सत्रों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था. किन्तु यह संभव न हो सकने के कारण सदन में दिनांक १३ अगस्त, १९७४ को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की गई.

४. दिनांक २९ मई, १९७४ को हुई समिति की प्रथम बैठक में समिति ने निर्णय दिया था कि अन्य प्रांतों में जहां इस प्रकार के अधिनियम प्रभावशील हों, उन प्रांतों से समिति के अध्ययन हेतु साहित्य मंगाया जाय तथा विधेयक को उच्च न्यायालय की बार कौंसिल तथा बार एसोशियेशन के पास उनके मत जानने के लिये भेजा जाय तथा उनके मत दिनांक १५ जून, १९७४ तक मंगाये जायं. दिनांक १९ जून, १९७४ को हुई समिति की द्वितीय बैठक में महाराष्ट्र एवं राजस्थान के अधिनियमों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई. दिनांक १६ जुलाई, १९७४ को हुई बैठक में समिति ने राज्य सतर्कता आयुक्त और जिला बार एसोशियेशन से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया तथा इस विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से सुझाव एवं आपत्तियां दिनांक ३१ अगस्त १९७४ तक मंगाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित करने हेतु निदेश दिया. समिति द्वारा पुनः सुझाव एवं आपत्तियां भेजने की अवधि में दिनांक ३० सितम्बर १९७४ तक की वृद्धि की गई. तदनुसार इस संबंध में दो बार प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित भी की गई.

५. समिति को विधेयक के संबंध में सुझावों / आपत्तियों के ज्ञापन विभिन्न संस्थानों / व्यक्तियों से प्राप्त हुए, जिनके नामों की सूची परिशिष्ट २ में दी गई है.

६. समिति की कुल १४ बैठकें हुई.

७. समिति ने प्रदेश के बाहर दिनांक २० दिसम्बर से २२ दिसम्बर १९७४ तक महाराष्ट्र (बंबई) का, तथा दिनांक २१ जनवरी से २३ जनवरी, १९७५ तक राजस्थान (जयपुर) का अध्ययन दौरा किया तथा उक्त राज्यों के लोक आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों से विधेयक के संबंध में विचार विमर्श किया जिनके नामों की सूची परिशिष्ट ३ में दी गई है.

८. दिनांक १९ जून १९७४, दिनांक १६ जुलाई, १९७४ तथा २ एवं ३० सितम्बर १९७४, दिनांक ११ अक्टूबर १९७४, तथा २२ एवं २३ नवम्बर व १८ दिसम्बर १९७४, ८ एवं १७ फरवरी और १८, १९, एवं २१ मार्च १९७५ को हुई बैठकों में समिति ने विधेयक पर खंडशः विचार किया.

---

* "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक ४ मई १९७४ में हिन्दी में प्रकाशित.

दिनांक २१ मार्च, १९७५ को हुई अंतिम बैठक में समिति ने विधेयक के विभिन्न खंडों में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तथा प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार करके उसे अनुमोदित किया तथा उसे विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया.

९. विधेयक में प्रस्तावित में प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार आगे की कंडिकाओं में दिये गये है.

खंड २—

समिति का मत था कि लोक सेवक की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित किये जायं जिन्हें मंत्री पद की हैसियत दी गई हो. अतः इस संबंध में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है.

समिति का यह भी मत था कि अभिकथन में ऐसा प्रावधान किया जाये कि यदि किसी लोक सेवक के पास उसकी आमदनी से अधिक चल या अचल संपत्ति स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके अतः तदनुसार प्रावधान करने के लिये मद (ख) (चार) को जोड़ा गया है.

समिति का मत था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अधिनियम की परिधि में लिया जाये अतः सुझाव को मान कर तदनुसार नया उप मद (ञ) (चार) (ख) जोड़ दिया गया है.

समिति का यह भी मत था कि सचिव की परिभाषा को व्यापक बनाया जाये ताकि मुख्य सचिव और उसके अधीनस्थ अन्य सचिवों के पदों को भी इसकी परिधि में लाया जा सके, तदनुसार उप खंड (ट) में संशोधन कर दिया गया है.

खंड २—

समिति का विचार था कि इस खंड में दी गयी परिभाषाओं को देवनागरी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किया जाना चाहिये. तदनुसार खंड के पदों का पुनः क्रमांकन किया गया है.

खंड ३ (२)—

समिति का मत था कि उप लोक आयुक्त के पद के लिये जो अर्हता निर्धारित की गई उसमें ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित करना चाहिये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की पात्रता रखता हो और यह कि किसी राज्य के सचिव को जो पांच साल की अवधि से अधिक अनुभव रखता हो, भी शामिल करना चाहिये. अतः इस खंड के उपखंड (२) के पद (ख) में उपयुक्त संशोधन कर दिये गये है.

खंड ५—

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त की अधिकतम आयु क्रमशः ७१ वर्ष तथा ६८ वर्ष रखी गई है ताकि उनके न्यायिक अनुभवों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके. साथ ही समिति का यह मत था कि लोक आयुक्त एवं उपलोक आयुक्त के रिक्त स्थान को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिये. अतः उस संबंध में इस खंड में प्रावधान कर दिया गया है.

खंड ६—

इस खंड में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को कदाचार के आधार पर हटाये जाने का प्रावधान है. कदाचार को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से स्पष्टीकरण डाला गया है.

खंड ७—

लोक आयुक्त स्वेच्छा से किसी मामले पर कार्यवाही कर सकें इस कारण उपखंड (३) में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है.

समिति का मत था कि ऐसे मामलों में जहां किसी लोक सेवक के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जांच चल रही हो उसे ऐसे लोक सेवक की सेवा निवृत्ति आदि के पश्चात् भी चालू रखना चाहिये. समिति का यह भी मत था कि शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति आदि के पश्चात् यदि कोई अभिकथन जब वह लोक सेवक था उस कालावधि से संबंधित प्राप्त होता है तो उसके संबंध में भी लोक आयुक्त को जांच करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये.

तदनुसार खण्ड 7 में नया उपखण्ड (५) का प्रावधान कर दिया है.

खण्ड ९--

समिति का मत था कि किसी अन्तर्वलित व्यथा तथा अभिकथन को प्रस्तुत करने के संबंध में फीस का प्रावधान किया गया है वह अधिक है शिकायत करने में आर्थिक कठिनाई के कारण रुकावट न हो इसलिये फीस की मात्रा में कमी किये जाने का प्रावधान उपखण्ड (२) में कर दिया गया है.

पुनश्च समिति का यह मत था कि उपखण्ड (४) के अधीन दिये जाने वाले दण्ड के प्रावधान को हटा दिया जाय और केवल जुर्माने का ही प्रावधान रखा जाय ताकि दण्ड के भय से लोग शिकायत करने और न्याय पाने से वंचित न रह सकें अतः तदनुसार प्रावधान कर दिया है

नया खण्ड १७-क–

इसके साथ ही इसमें एक नया खण्ड जोड़ा गया ताकि यदि लोक आयुक्त किसी मामले की जांच के दौरान विहित प्रक्रिया में ऐसी कोई त्रुटि पाता है जिससे कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है तो वह उसे शासन के ध्यान में लाये तथा अपने सुझाव भी दे सकें.

तृतीय अनुसूचीः–खण्ड ८ (१) (क) के अनुसार लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त किसी ऐसी शिकायत के मामले में जिसमें किसी कार्यवाही के संबंध में कोई व्यथा अन्तर्वलित है इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी विषय से संबंधित है. समिति का मत था कि अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये की गई कार्यवाही एवं इस बात का अवधारण करने के संबंध में कि क्या कोई मामला न्यायालय को भेजा जाये या नहीं, शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कार्यवाही को इस प्रकार छूट देना उचित न होगा. अतः अनसूची में उचित संशोधन कर दिया गया है.

७. समिति द्वारा किये गये अन्य संशोधन गौण या आनुषंगिक स्वरूप के हैं तथा स्वतः स्पष्ट हैं.

८. प्रवर समिति सिफ़ारिश करती है कि विधेयक उसके द्वारा यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए.

नित्येन्द्र नाथ शील,
सभापति.

(७)

विमति टिप्पणी

एक

प्रस्तुत लोक आयुक्त उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ प्रदेश में कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार तथा अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच हेतु लाया गया है. ताकि साधारण से साधारण जनता इससे लाभ प्राप्त कर सके तथा प्रदेश का उच्च से उच्च प्रभावशालीपदधारी इसके दायरे में आ सके.

(१) खण्ड २ के (ज) में मुख्य मंत्री को शामिल नहीं किया गया है न्याय की दृष्टि से मुख्य मंत्री का शामिल होना अति आवश्यक है.

(२) खण्ड ९ में शिकायतकर्त्ता पर जो फीस लगाई गई है वह ठीक नहीं है क्योंकि गरीब आदमी को परेशानी होगी तथा न्याय प्राप्त करने के लिये द्रव्य वसूल करना अनुचित है. बल्कि गुमनाम भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी भी अन्य की तरह विधिवत् जांच होना चाहिये.

(३) खण्ड ९ के उपखण्ड (४) में जुर्माना एक हजार रखा गया है. यह अधिकांश देखा गया है कि गरीब आदमी को प्रभावशाली एवं आतंकवादियों के भय से सबूत जुटाने में अधिक परेशानी होती है इससे कभी-कभी सही घटना भी सबूत या प्रमाण के अभाव में झूठी सावित हो सकती है. अतएव वर्तमान समाज की दशा को देखते हुए कोई जुर्माना नहीं रखना चाहिये. जुर्माना रखने से शिकायतें गरीब कम और सम्पन्न व्यक्ति ज्यादा करेंगे.

(४) प्रमाण स्वरूप सरकारी कागजातों की लिपि या प्रतिलिपि पेश की जाने के लिये शासन द्वारा कोई अड़चन न हो इस तरह की धारा और जोड़ना चाहिये.

लक्ष्मीनारायण नायक,
एम. एल. ए.

दो

आज दिनांक २१-३-७५ को प्रवर समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है. मैं विवरण से असहमत एवं निम्नलिखित प्रावधान न जोड़े पाने के कारण विमति प्रस्तुत करता हूं :—

१. खंड २ (ज) में "जो मुख्य मंत्री से भिन्न हो" लिखा गया है वह नहीं जोड़ा जाना चाहिये था. चूंकि यह जोड़ा गया है इसलिये हम विमति प्रस्तुत करते हैं. इस विधान को मुख्य मंत्री पर लागू किया जावे.

२. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ के कार्य क्षेत्र में विधायकों को सम्मिलित किया जावे चूंकि यह नहीं किया गया इसलिये हम विमति प्रस्तुत करते हैं.

३. खंड ९ (४) में दण्ड की व्यवस्था रु. १,००० रखी है वह या तो निरस्त किया जावे या अलप्य रखी जावे.

४. खंड १२ की उपखंड (३) में जो विवरण लोक आयुक्त सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा सक्षम अधिकारी ऐसे विवरण को क्रियान्वित करने के लिये बाध्य होगा. इस प्रकार का प्रावधान उपखंड (४) में होना चाहिये था जो नहीं किया गया है तथा प्रावधान किया है कि "सक्षम अधिकारी रिपोर्ट का परीक्षण करेगा."

चूंकि ऐसा नहीं हुआ है अतएव हम विमति प्रस्तुत करते हैं.

कुछ और भी इसी प्रकार के प्रावधान रहे हैं.

शीतला सहाय,
२१-३-७५
सुधीर मुकर्जी.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् १९७४

(प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.)

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४

विषय-सूची

खण्ड

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त की नियुक्ति.

४. लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे.

५. लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें.

६. लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त का हटाया जाना.

७. वे मामले, जिनका लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकेगा.

८. वे मामले जो अन्वेषण के अध्यधीन नहीं होंगे.

९. शिकायतों से संबंधित उपबन्ध.

१०. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया.

११. साक्ष्य.]

१२. लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त की रिपोर्ट.

१३. लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त का कर्मचारीवृन्द.

१४. जानकारी का गुप्त रखा जाना.

१५. लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्तों का साशय अपमान या उसको/उनको विघ्न पहुंचाना या उसको/उनको बदनाम करना.

१६. संरक्षण.

खण्ड

१७. लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्तों को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदत्त किया जाना, आदि.

१७. क. लोक आयुक्त सुझाव देगा.

१८. लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों का अपवर्जन करने की शक्ति.

१९. प्रत्यायोजित करने की शक्ति.

२०. नियम बनाने की शक्ति.

२१. शंकाओं का निराकरण.

२२. व्यावृत्ति.

२३. सतर्कता आयुक्त के समक्ष लंबित शिकायतों का अन्तरण और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निपटाई गई शिकायतें ग्रहण करने का प्रतिषेध.

प्रथम अनुसूची.

द्वितीय अनुसूची.

तृतीय अनुसूची.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् १९७४

(प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्टकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.)

मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७४

कतिपय मामलों में मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश राज्य में के कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से की गई प्रशासनिक कार्रवाई के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके कृत्यों के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के [पच्चीसवें] छब्बीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त अधिनियम, [१९७४] १९७५ है. — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषायें.

[(क)] (घ) "कार्रवाई" से अभिप्रेत है वह कार्रवाई जो विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति में की गई हो और उसके अन्तर्गत, कार्रवाई करने में असफल रहना आता है और कार्रवाई का अर्थ सूचित करने वाली समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायगा;

(ख) "अभिकथन" से, किसी लोक सेवक के संबंध में, अभिप्रेत है इस प्रभाव की कोई अभिपुष्टि कि—

(एक) ऐसे लोक सेवक ने अपने स्वयं के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक् अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये अपने पद का उस पद की हैसियत में दुरुपयोग किया,

(दो) ऐसा लोक सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट हेतु से प्रेरित हुआ था, [या]

(तीन) ऐसा लोक सेवक, ऐसे लोक सेवक की हैसियत में, भ्रष्टाचार का या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी है [;] , या

(चार) ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन संबंधी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी संपत्ति है जो कि आय के उसके ज्ञात स्त्रोत के अनुपात में नहीं है और धन संबंधी ऐसा संसाधन या ऐसी संपत्ति लोक सेवक द्वारा वैयक्तिक रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है.

स्पष्टीकरण.—इस मद के प्रयोजन के लिये "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है पति, पत्नी, पुत्र या पुत्रियां;

[(ग)] (ञ) "सक्षम प्राधिकारी" से, किसी लोक सेवक के संबंध में, अभिप्रेत है,—

(एक) किसी मंत्री या सचिव के मामले में—मुख्य मंत्री या, भारत के संविधान क अनुच्छेद ३५६ के अधीन जारी की गई उद्‌घोषणा के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान, राज्यपाल;

(दो) किसी अन्य लोक सेवक के मामले में—ऐसा प्राधिकारी जो कि विहित किया जाय;

[(घ)] (च) "व्यथा" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा यह दावा किया जाना कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है या उसे अनुचित कष्ट हुआ है;

[(ङ)] (ज) "लोक आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

[(च)] (ग) "उप-लोक आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

[(छ)] (ङ) "कुप्रशासन" से अभिप्रेत है ऐसी कार्रवाई जो निम्नलिखित प्रकार के किसी भी मामले में प्रशासनिक कृत्यों का प्रयोग करते हुए की गई हो या जिसका उस प्रकार किया जा चुकना तात्पर्यित हो—

(एक) कोई भी ऐसा मामला जहां ऐसी कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति अयुक्तियुक्त, अन्यायपूर्ण, दमनकारी या अनुचित रूप से विभेदक हो; या

(दो) कोई भी ऐसा मामला जहां ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा की गई हो या असम्यक् विलंब किया गया हो या ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति में असम्यक् विलंब अन्तर्वलित हो;

[(ज) "मंत्री" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य की मंत्री-परिषद् का कोई सदस्य (जो मुख्य मंत्री से भिन्न हो) चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, अर्थात् कोई मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री तथा संसदीय सचिव;]

[(ज)] (छ) "मंत्री" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य की मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य (जो मुख्य मंत्री से भिन्न हो) चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो और उसके अंतर्गत आता है कोई राज्य मंत्री, कोई उप-मंत्री तथा कोई संसदीय सचिव;

[(झ)] (क) "अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त किया गया हो;

[(ञ)] (झ) अभिव्यक्ति "लोक सेवक" उस व्यक्ति की द्योतक है जो इसमें इसके पश्चात् नीचे दिये गये प्रकारों में से किसी भी प्रकार के अंतर्गत आता हो, अर्थात्:—

(एक) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक मंत्री,

(एक-क) मंत्री की पद श्रेणी (रैंक) वाला प्रत्येक व्यक्ति,

(दो) खंड (झ) में निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक अधिकारी,

(तीन) (क) मध्यप्रदेश पंचायत एक्ट, १९६२ (क्रमांक ७ सन् १९६२) के अधीन गठित की गई किसी जिला पंचायत का प्रत्येक सभापति और उप सभापति;

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) या मध्यप्रदेश म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम का प्रत्येक महापौर और उप-महापौर, किसी नगरपालिका परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा स्थायी समिति का सभापति;

(ग) मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी तथा राज्य भर में अधिकारिता रखने वाली किसी सहकारी सोसायटी का उस एक्ट के अर्थ के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी;

(चार) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में हो या निम्नलिखित से वेतन प्राप्त करता हो,—

(क) मध्यप्रदेश राज्य में का कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किया जाय;

(ख) कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकारी न हो) जो किसी राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और जिस पर राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण हो;

(ख) कोई भी विश्वविद्यालय, जो मध्यप्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो;

(ग) कंपनीज एक्ट, १९५६ (क्रमांक १ सन् १९५६) की धारा ६१७ के अर्थ के अंतर्गत कोई सरकारी कंपनी जिसमें कि समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित हो, या कोई ऐसी कंपनी जो किसी ऐसी कंपनी की समनुषंगी हो जिसमें कि समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित हो;

(घ) मध्यप्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) या किसी तत्समान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसायटी, जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हो और जो उस सरकार द्वारा राजपत्र में इस सम्बन्ध में अधिसूचित की गई हो;

(ङ) मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई तथा राज्य भर में अधिकारिता रखने वाली सहकारी सोसायटी.

[(ट) "सचिव" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार का सचिव और उसके अन्तर्गत विशेष सचिव तथा अपर सचिव आते हैं.]

(ट) "सचिव" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, (प्रिंसीपल-सेक्रेटरी), अपर मुख्य सचिव तथा सचिव और उसके अन्तर्गत अपर सचिव तथा विशेष सचिव आते हैं.

लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त की नियुक्ति.

३. (१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषणों का संचालन करने के प्रयोजन के लिये राज्यपाल अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो लोक आयुक्त के नाम से जाना जायगा तथा एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो उप-लोक आयुक्त के नाम से जाना जायगा/जाने जायंगे :

परन्तु—

(क) लोक आयुक्त की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से तथा विधान सभा में के विरोधी दल के नेता से, या यदि उसमें कोई ऐसा नेता न हो, तो ऐसे व्यक्ति से, जिसे कि उस सदन में के विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि अध्यक्ष निदेशित करे इस निमित्त निर्वाचित किया गया हो, परामर्श करने के पश्चात् की जायगी;

(ख) उप-लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्तों की नियुक्ति लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी.

(२) कोई व्यक्ति—

(क) लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या भारत में के किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो; और

[(ख) उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह भारत में के किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो या जब तक कि उसने कम से कम पांच वर्ष की कालावधि के लिये भारत सरकार के सचिव का पद या किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव का पद धारण न किया हो;.]

(ख) उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाने के लिए पात्र न हो या जब तक कि उसने भारत सरकार के सचिव का पद या किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव का पद धारण न किया हो या जब तक कि उसने कम से कम पांच वर्ष की कालावधि के लिये किसी राज्य सरकार के सचिव का पद धारण न किया हो.

(३) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा उस संबंध में नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति के समक्ष, उस प्ररूप में जो कि प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिया गया हो, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(४) उप-लोक आयुक्त लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन रहेंगे और, विशिष्टतः, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधाजनक निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोक आयुक्त उप-लोक आयुक्तों को ऐसे साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह आवश्यक समझे:

परन्तु इस उपधारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी उप-लोक आयुक्त के किसी निष्कर्ष, परिणाम या सिफारिश को अपास्त करने के लिये लोक आयुक्त को प्राधिकृत करती है.

लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त कोई अन्यपद धारण नहीं करेंगे.

४. लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा और विश्वास या लाभ का कोई भी पद (जो लोक आयुक्त या यथास्थिति किसी उप लोक आयुक्त के रूप में उसके पद से भिन्न हो) धारण नहीं करेगा या मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३), के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी सोसायटी के शासी निकाय का सदस्य नहीं होगा या मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी सहकारी सोसायटी का उस एक्ट के अर्थ के अंतर्गत कोई अधिकारी नहीं होगा या किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं रहेगा या कोई कारबार या कोई वृत्ति

नहीं करेगा और तदनुसार, लोक आयुक्त या यथास्थिति किसी उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति,—

(क) यदि वह संसद का किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य हो; तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसी सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा;

(ख) यदि वह विश्वास या लाभ का कोई पद धारण किये हुए हो, तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, विश्वास या लाभ के उक्त पद से त्यागपत्र दे देगा; या

(ग) यदि वह किसी सोसायटी के शासी-निकाय के सदस्य का पद धारण किये हुए हो या किसी सहकारी सोसायटी में कोई अधिकारी हो, तो लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, उस सोसायटी के शासी-निकाय के सदस्य के पद से या उस सहकारी सोसायटी के अधिकारी के पद से त्याग पत्र दे देगा; या

(घ) यदि वह किसी राजनैतिक दल से संबंधित हो, तो लोक आयुक्त या उप- लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, उस राजनैतिक दल से अपना संबंध विच्छेद कर लेगा, या

(ङ) यदि वह कोई कारबार कर रहा हो, तो लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे कारबार के संचालन तथा प्रबंध से अपना संबंध विच्छेद (स्वामित्व से अपने को निर्निहित न करते हुये) कर लेगा; या

(च) यदि वह कोई वृति कर रहा हो, तो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसी वृत्ति करना स्थगित कर देगा.

लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें.

५. (१) लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करे, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा:

परन्तु लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त, इस तथ्य के होते हुये भी, कि उनकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, क्रमशः इकहत्तर तथा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, अपने-अपने पद पर नहीं रह जायेंगे.

[परन्तु—] परन्तु यह और भी कि—

(क) लोक आयुक्त या कोई उप- लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित किये गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.

(ख) लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त धारा ६ में विनिर्दिष्ट की गई रीति में पद से हटाया जा सकेगा.

(२) यदि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या यदि लोक आयुक्त या कोई उप - लोक आयुक्त, अनुपस्थित के कारण या किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उस समय तक जब तक कि धारा ३ के अधीन नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति ऐसा पद ग्रहण न कर ले या, यथास्थिति, जब तक कि लोक आयुक्त या ऐसा उपलोक आयुक्त अपने कर्त्तव्यों को न संभालने उन कर्त्तव्यों का पालन,—

(क) जहां लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां, उप-लोकआयुक्त द्वारा या यदि दो या अधिक उप-लोक आयुक्त हों तो उनमें से किसी ऐसे एक उप लोक आयुक्त द्वारा, जिसे राज्यपाल आदेश द्वारा निदेश दे, किया जायगा,

(ख) जहां किसी उप- लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो वहां, स्वयं लोकआयुक्त द्वारा या यदि लोक आयुक्त ऐसा निदेश दे, अन्य उप लोकआयुक्त द्वारा या, यथास्थिति, अन्य उप-लोक आयुक्तों में से ऐसे एक उप-लोकआयुक्त द्वारा, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, किया जायगा. [.]:

परन्तु लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के पद में होने वाली रिक्ति यथासम्भव शीघ्र भरी जायगी किन्तु ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छःमास के पश्चात् नहीं.

(३) पद पर न रहने पर, लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त (चाहे लोक आयुक्त के रूप में या किसी उप-लोक आयुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत में) राज्य सरकार के अधीन आगे और नियोजन के लिये, या धारा २ के खंड (ञ) के उपखंड (चार) में यथानिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कंपनी या सोसायटी के अधीन किसी नियोजन के लिये या उसमें के किसी पद के लिये अपात्र होगा.

(४) लोक आयुक्त तथा उप-लोकआयुक्तों को ऐसे वेतनों का भुगतान किया जायगा जैसे कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हैं.

(५) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को देय भत्ते तथा पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जायं:

परतु—

(क) लोक आयुक्त को देय भत्ते तथा पेंशन और उसकी सेवा की अन्य शर्तें विहित करते समय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को देय भत्ते तथा पेंशन और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ध्यान में रखी जायंगी/ रखे जायंगे,

(ख) उप- लोक आयुक्तों को देय भत्ते तथा पेंशन तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें विहित करते समय, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत सरकार के सचिव या किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को देय भत्ते तथा पेंशन और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ध्यान में रखी जायंगी / रखे जायंगे:

परन्तु यह और भी कि लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को देय भत्तों तथा पेंशन और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार फेरफार नहीं किया जायगा कि जो उसके लिए अलाभकारी हो.

लोक आयुक्त या उप-लोकआयुक्त का हटाया जाना.

६. (१) संविधान के अनुच्छेद ३११ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को उसके पद से, राज्यपाल द्वारा, कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकेगा अन्य किसी भी आधार पर नहीं :

परन्तु वह जांच, जिसका कि इस प्रकार हटाये जाने के पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (२) के अधीन किया जाना अपेक्षित है,—

(एक) लोक आयुक्त के बारे में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रह चुका हो ; और

(दो) उप-लोकआयुक्त के बारे में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही की जायगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो.

[स्पष्टीकरण.—यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, किसी निगमित या रजिस्ट्रीकृत कंपनी के सदस्य के रूप में न होकर अन्यथा, किसी भी ऐसी संविदा या करार से, जो कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया गया हो, किसी भी रूप में संबंधित है या उसमें हितबद्ध है या उससे संबंधित हो जाता है या उसमें हितबद्ध हो जाता है या उसके लाभ में या उससे उद्भूत होने वाली किसी फायदे या उपलब्धि में किसी भी रूप में भाग लेता है तो वह, इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, कदाचार का दोषी समझा जायगा.

(२) उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अपनी जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा जो कि उसे यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा.

(३) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को तब तक नहीं हटायेगा जब तक कि ऐसे हटाये जाने के हेतु राज्य विधान सभा द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राज्यपाल के समक्ष उसी सत्र में उपस्थापित न कर दिया गया हो.

वे मामले जिनका कि लोक आयुक्त या उप-लोकआयुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकेगा.

७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो कि —

[(एक) किसी मंत्री या किसी सचिव द्वारा या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से ; या]

(एक) किसी मंत्री द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा जो धारा २ के खण्ड (ञ) के उपखण्ड (एक-क) में निर्दिष्ट किया गया हो या किसी सचिव द्वारा या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से; या

(दो) धारा २ के खण्ड (ञ) के उप खंड (तीन) में निर्दिष्ट किये गये किसी लोक सेवक द्वारा या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से; या

(तीन) किसी ऐसे अन्य लोक सेवक, जो कि लोकसेवकों के किसी ऐसे वर्ग या उपवर्ग का लोक सेवक हो जो कि लोक आयुक्त के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया हो, द्वारा या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से;

किसी ऐसे मामले में की गई हो जहां कोई शिकायत, जिसमें कि कोई व्यथा या अभिकथन अन्तर्वलित हो, ऐसी कार्रवाई के सम्बन्ध में की गई हो या ऐसी कार्रवाई लोक आयुक्त की राय में, किसी व्यथा या अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी.

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उप-लोक-आयुक्त किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा जो किसी ऐसे लोक सेवक, जो कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया कोई मंत्री, सचिव या अन्य लोक सेवक न हो, द्वारा या उसके साधारण या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से किसी ऐसे मामले में की गई हो जहां कोई शिकायत, जिसमें कि कोई व्यथा या अभिकथन अन्तर्वलित हो, ऐसी कार्रवाई के संबंध में की गई हो या ऐसी कार्रवाई, उप-लोक आयुक्त की राय में, किसी व्यथा या अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी.

[(३) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी ऐसी कार्रवाई का, जिसका कि उस उपधारा के अधीन उप-लोकआयुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकता हो, अन्वेषण कर सकेगा चाहे ऐसी कार्रवाई के बारे में लोक आयुक्त को शिकायत की गई हो या न की गई हो.]

(३) उपधारा (१) तथा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से:--

(क) किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसका कि उपधारा (२) के अधीन उप लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषण किया जा सकता हो, अन्वेषण कर सकेगा चाहे ऐसी कार्रवाई के बारे में लोक आयुक्त को शिकायत की गई हो, या न की गई हो;

(ख) स्वप्रेरणा से, किसी ऐसी कार्रवाई, जिसमें कि कोई व्यथा या अभिकथन अन्तर्वलित हो, का, जिसके कि बारे में लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को कोई शिकायत न की गई हो, अन्वेषण कर सकेगा.

(४) जहां दो या अधिक उप-लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये हों, वहां लोक आयुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक उप-लोक आयुक्त को वे मामले सौंप सकेगा जिनका कि उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जा सकता हो :

परन्तु किसी उप-लोक आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अन्वेषण तथा ऐसे अन्वेषण के बारे में उसके द्वारा की गई कोई कार्रवाई या बात केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जा सकेगी कि ऐसा अन्वेषण किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो कि ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है.

(५) जहां—

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच या अन्वेषण उस समय संस्थित किया गया हो जब कि वह लोक सेवक के रूप में कोई पद धारण किए हुए हो, और ऐसी जांच या अन्वेषण के दौरान वह ऐसा लोक सेवक न रह जाय वहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यथा स्थिति जांच या अन्वेषण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार चालू रख सकेगा तथा उसका निष्कर्ष उसी प्रकार निकाल सकेगा मानों कि ऐसा व्यक्ति ऐसा लोक सेवक बना रहा हो;

(ख) किसी व्यक्ति के विरुद्ध, उस समय के पश्चात् जब कि उसने लोक सेवक के रूप में अपना पद त्याग दिया हो, कोई ऐसी शिकायत, जिसमें कि कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, किसी ऐसी कार्यवाही के संबंध में, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके अनुमोदन से उस समय की गई हो जब कि वह ऐसा पद धारण किए हुए हो, लोक आयुक्त को प्राप्त हुई हो, वहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त धारा ८ की उपधारा (५) के खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए भी इस अधिनियम के संबंधों के अनुसार कोई जांच या अन्वेषण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लोक सेवक समझा जायगा.

वे मामले जो अन्वेषण के अध्यधीन नहीं होंगे. ८. (१) इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त किसी ऐसी शिकायत के मामले में, जिसमें किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई व्यथा अन्तर्वलित हो, इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा,—

(क) यदि ऐसी कार्रवाई, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी विषय से संबंधित हो; या

(ख) यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि- न्यायालय के समकक्ष कार्यवाहियों के रूप में कोई उपचार प्राप्त है या प्राप्त था :

परन्तु लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा कोई उपचार प्राप्त था या प्राप्त है, अन्वेषण कर सकेगा यदि लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से ऐसे उपचार का सहारा न ले सका या नहीं ले सकता.

(२) लोक आयुक्त या उप-लोकआयुक्त.—

(क) किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण नहीं करेगा जिसके कि संबंध में लोकआयुक्त की पूर्व सहमति से पब्लिक सर्वेण्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) के अधीन किसी प्ररुपिक तथा लोक जांच का आदेश दिया गया हो; या

(ख) ऐसे मामले के संबंध में किसी कार्रवाई का अन्वेषण नहीं करेगा जो कि लोक आयुक्त की पूर्व सहमति से जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (क्रमांक ६० सन् १९५२) के अधीन जांच के लिये निर्दिष्ट किया जा चुका हो.

(३) लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त किसी ऐसी शिकायत का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें कि धारा २ के खंड (ञ) के उपखंड (चार) में निर्दिष्ट किये गये किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई व्यथा अन्तर्वलित हो.

(४) लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त किसी ऐसी शिकायत का अन्वेषण नहीं करेगा जो कि धारा १८ के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के आधार पर उसकी अधिकारिता में से अपवर्जित कर दी गई हो.

(५) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त :—

(क) किसी ऐसी शिकायत का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें कोई व्यथा अन्तर्वलित है, यदि वह शिकायत उस तारीख से बारह मास का अवसान होने के पश्चात, की गई हो जिसको कि वह कार्रवाई जिसके कि विरुद्ध शिकायत की गई हो, परिवादी को ज्ञात हो;

(ख) किसी ऐसी शिकायत का अन्वेषण नहीं करेगा जिसम कि कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, यदि वह शिकायत उस तारीख से तीन वर्ष का अवसान होने के पश्चात् की गई हो जिसको कि उस कार्रवाई का जिसके, कि विरुद्ध शिकायत की गई हो, होना अभिकथित हो :

परन्तु लोक आयुक्त या कोई उप-लोकआयुक्त खंड (क) में विनिर्दिष्ट की गई कोई शिकायत ग्रहण कर सकेगा यदि परिवादी उसका यह समाधान करा दे कि उसके पास, उस खंड में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण था.

(६) किसी भी ऐसी शिकायत के मामले में जिसमें कि कोई व्यथा अन्तर्वलित हो, इस अधिनियम में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई को, जिसमें विवेक का प्रयोग अन्तर्वलित हो, प्रश्नगत करने के लिये लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को उस दशा में के सिवाय सशक्त करती है जबकि उसका यह समाधान हो जाय कि विवेक के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्वों का उस सीमा तक अभाव है कि जिससे यह प्रथम-दृष्ट्या समझा जा सकता है कि विवेक का प्रयोग अनुचित रूप से किया गया है.

९. (१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को.— शिकायतों से संबंधित उपबन्ध

(क) किसी व्यथा के मामले में, व्यथित व्यक्ति द्वारा;

(ख) किसी अभिकथन के मामले में, किसी लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा;

कि जा सकेगी :

परन्तु जहां व्यथित व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या किसी कारणवश वह स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहां शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो विधि की दृष्टि में उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करता हो, या यथास्थिति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, की जायेगी.

[(२) प्रत्येक शिकायत ऐसे प्ररूप में, जो कि विहित किया जाय, की जायेगी तथा उसके साथ ऐसे शपथपत्र, जो कि विहित किये जायं, संलग्न होंगें और उसके साथ निम्नलिखित मूल्य के न्यायालय-फीस-स्टाम्पों के रूप में देय फीस भी संलग्न होगी—

(क) ऐसी शिकायत के, जिसमें कि कोई व्यथा अन्तर्वलित हो, मामले में—

पचास रुपये	..	जबकि ऐसी शिकायत लोक आयुक्त के समक्ष की जाय, या
दस रुपये	..	जबकि ऐसी शिकायत किसी उप-लोकआयुक्त के समक्ष की जाय; और

(ख) ऐसी शिकायत के, जिसमें कि कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, मामले में—

दो सौ पचास रुपये	..	जबकि ऐसी शिकायत लोक आयुक्त के समक्ष की जाय; या
एक सौ रुपये	..	जबकि ऐसी शिकायत किसी उप-लोकआयुक्त के समक्ष की जाय.]

(२) प्रत्येक शिकायत, ऐसे प्ररूप में, जो कि विहित किया जाय, की जायगी. तथा उसके साथ ऐसा निक्षेप होगा जो .—

(क) ऐसी शिकायत के जिसमें कि कोई व्यथा अंतर्वलित हो, मामले में दस रुपये होगा; और

(ख) ऐसी शिकायत के, जिसमें कि कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, मामले में पच्चीस रुपये होगा ;

परिवादी, लोक आयुक्त या लोक आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी के समक्ष ऐसे प्ररूप में, जो कि विहित किया जाय, एक शपथ-पत्र भी भरेगा, जब कि ऐसा करने के लिये उसे अपेक्षित किया जाय ;

(३) किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि पुलिस की अभिरक्षा म या किसी जेल में या किसी पागलखाने में या उन्मत्त व्यक्तियों के लिये किसी अन्य स्थान में हो, लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को लिखा गया कोई भी पत्र पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी जेल या ऐसे पागलखाने या ऐसे अन्य स्थान का भारसाधक हो, खोले बगैर तथा बिना किसी विलम्ब के

प्रेषिती को अग्रेषित किया जायगा और यथास्थिति लोक या उप-लोक आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे पत्र को उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसरण में की गई शिकायत मान सकेगा.

(४) इस अधिनियम की धारा १० या किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषतः इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करेगा, दोषसिद्धि पर, [कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा] जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायगा तथा न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि जुर्माने की रकम में से ऐसी राशि, जैसी, कि वह उचित समझे, परिवादी को प्रतिकर के तौर पर दी जाय:

परन्तु कोई भी न्यायालय इस उपधारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उस शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा जो कि उस व्यक्ति ने, जिसके कि विरुद्ध मिथ्या शिकायत की गई थी, यथास्थिति लोक आयुक्त या उप-लोकआयुक्त की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् की हो.

अन्वेषणों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

१०. (१) जहां लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्तावित करे, वहां वह —

(क) संबंधित लोक सेवक तथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की एक प्रतिलिपि या किसी ऐसे अन्वेषण के मामले में जिसे कि वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्तावित करे उसके लिये आधार देते हुए एक विवरण अग्रेपित करेगा;

(ख) ऐसी शिकायत या विवरण पर टीका-टिप्पणी करने के लिए संबंधित लोक सेवक को अवसर देगा; और

(ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह उचित समझे.

(२) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण प्राइवेट में किया जायगा और विशिष्टतः अन्वेषण के पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात् जनसाधारण या प्रेस को यह प्रकट नहीं किया जायगा कि परिवादी कौन है तथा अन्वेषण द्वारा प्रभावित लोक सेवक कौन है:

परन्तु लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त निश्चित लोक महत्व के किसी मामले से संबंधित किसी अन्वेषण को सार्वजनिक रूप से कर सकेगा, यदि वह, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझे.

(३) यथापूर्वोक्त के सिवाय, किसी ऐसे अन्वेषण का संचालन करने के लिये प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे.

(४) लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त स्वविवेक से किसी शिकायत का, जिसमें कोई व्यथा या अभिकथन अन्तर्वलित हो, अन्वेषण करने से इन्कार कर सकेगा या अन्वेषण करना छोड़ सकेगा यदि उसकी राय में,—

(क) शिकायत तुच्छ है या तंग करने वाली है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है; या

(ख) अन्वेषण करने के लिए या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है; या

(ग) परिवादी को अन्य उपचार उपलभ्य हैं और मामले की परिस्थितियों में परिवादी के लिए यह अधिक उचित होगा कि वह ऐसे उपचारों का लाभ उठाये.

(५) किसी भी ऐसे मामले में जहां कि लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त शिकायत ग्रहण न करने या किसी शिकायत के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वहां वह उसके लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा.

(६) किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही पर या अन्वेषण के अध्यधीन किसी बात के संबंध में आगे और कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी शक्ति या कर्त्तव्य पर प्रभाव नहीं डालेगा.

साक्ष्य

११. (१) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण (जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारंभिक जांच, यदि कोई हो, आती है) के प्रयोजन के लिए, लोक आयुक्त या कोई उप-लोकआयुक्त किसी भी ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में, अन्वेषण से सुसंगत जानकारी दे सके या दस्तावेज पेश कर सके, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी दे या कोई भी ऐसी दस्तावेज पेश करे.

(२) किसी ऐसे अन्वेषण (जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक जांच आती है) के प्रयोजन के लिए लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वे समस्त शक्तियां होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (क्रमांक ५ सन् १९०८) के अधीन वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा पेश किये जाने के लिए अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) ऐसे अन्य विषय जो कि विहित किये जायं.

(३) लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त के समक्ष की कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा १९३ के अर्थ के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी.

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या किसी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त की गई या राज्य सरकार को या किसी लोक सेवक को दी गई जानकारी की गोपनीयता को बनाये रखने की बाध्यता या उस जानकारी के प्रकटीकरण पर अन्य निर्बन्धन, चाहे वह किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा अधिरोपित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये जानकारी के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगा / होगी और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में दस्तावेजों के पेश किये जाने या साक्ष्य के दिये जाने के बारे में किसी

ऐसे विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जो कि विधिक कार्यवाही में किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है.

(५) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के आधार पर इस बात के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं किया जायगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी दे या किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे या किसी भी दस्तावेज का उतना भाग पेश करें—

(क) जिसका कि भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा पर या उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों (जिनके अन्तर्गत किसी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के सम्बन्ध आते हैं) पर या अपराध के अन्वेषण पर या अपराध का पता चलाने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या

(ख) जिसमें राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण अन्तर्वेलित हो,

और इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जो कि यह प्रमाणित करता हो कि कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकार का/की है, आबद्ध कर तथा निश्चायक होगा.

(६) उपधारा (४) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, किसी भी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये, कोई ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसी दस्तावेज पेश करने के लिये विवश नहीं किया जायगा जिसे कि किसी न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिये उसे विवश नहीं किया जा सकता हो.

लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त की रिपोर्ट.

१२. (१) यदि किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के पश्चात् जिसके बारे में कोई ऐसी शिकायत, जिसमें कि कोई व्यथा अन्तर्वेलित हो, की गई हो या की जा सकती हो या की जा सकती थी लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाये कि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अन्याय हुआ है या उसे अनुचित कष्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त, लिखित रिपोर्ट द्वारा, संबंधित लोक सेवक या सक्षम प्राधिकारी को यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय या अनुचित कष्ट का उपचार या प्रतितोष ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर किया जाये जो कि रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट हो.

(२) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसे कि उपधारा (१) के अधीन रिपोर्ट भेजी गई हो, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की गई अवधि का अवसान होने के एक मास के भीतर लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त को ऐसी कार्यवाही प्रज्ञापित करेगा या करवायेगा जो कि रिपोर्ट के अनुपालन के लिये की गई हो.

(३) यदि किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के पश्चात् जिसके कि बारे में कोई ऐसी शिकायत, जिसमें कोई अभिकथन अन्तर्वेलित हो, की गई हो या की जा सकती हो या की जा सकती थी, लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन की पूर्णतः या अंशतः अभिपुष्टि की जा सकती है, तो वह सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा.

(४) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (३) के अधीन उसे अग्रेषित की गई रिपोर्ट का परीक्षण करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना, रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर, लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त को देगा.

(५) (एक) यदि लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त का उपधारा (१) तथा (३) में निर्दिष्ट की गई उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई से समाधान हो जाय; या

(दो) यदि कार्रवाई लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई हो,

तो वह (लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त) संबंधित परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुये मामले को बन्द कर देगा. किसी अन्य मामले में, यदि वह यह समझे कि मामला इस योग्य है, तो वह राज्यपाल को उस मामले के संबंध में विशेष रिपोर्ट कर सकेगा तथा संबंधित परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा.

(६) लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के संबंध में एक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रति वर्ष पेश करेंगे जिसमें धारा ८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत आने-वाले मामलों के प्रति विनिर्दिष्ट निर्देश भी अन्तर्विष्ट होगा.

(७) यदि उपधारा (५) के अधीन किसी विशेष रिपोर्ट या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट में किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट में उस प्रतिवाद का, जो कि ऐसे लोक सेवक ने पेश किया था, सार तथा उस पर यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा या उसकी ओर से या संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की गई टिप्पणी भी अन्तर्विष्ट होगी.

(८) उपधारा (५) के अधीन विशेष रिपोर्ट या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्यपाल उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा.

(९) धारा १० की उपधारा (२) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, लोक आयुक्त अपने द्वारा या किसी उप-लोक आयुक्त द्वारा बन्द किये गये या अन्यथा निपटाये गये उन मामलों का जो कि उसे सामान्य लोकहित के विद्या संबंधी या वृत्तिक हित के प्रतीत हों, सार ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उसे समुचित प्रतीत हो/हों, स्वविवेकानुसार समय-समय पर उपलब्ध करा सकेगा.

लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त का कर्मचारी वृन्द.

१३. (१) लोक आयुक्त ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को, जो कि लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्तों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता देंगे, नियुक्त कर सकेगा या उनको नियुक्त करने का प्राधिकार किसी उप-लोक आयुक्त या लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को दे सकेगा.

(२) उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के, जो कि उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किये जायं, प्रवर्ग तथा संख्या, उनके वेतन, भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें तथा लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो कि लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, विहित की जायं/किये जायं.

(३) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये,—

(एक) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उस सरकार की सहमति से कर सकेगा; या

(दो) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा.

१४. (१) किसी भी ऐसी जानकारी को, जो लोक आयुक्त या उप-लोक-आयुक्त या उनके कर्मचारी वृन्द के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के अनुक्रम में, या उसके प्रयोजनों के लिये अभिप्राप्त की गई हो और किसी भी ऐसे साक्ष्य को, जो ऐसी जानकारी के संबंध में अभिलिखित किया गया हो या संग्रहीत किया गया हो, धारा १० की उपधारा (२) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्य-धीन रहते हुए, गोपनीय माना जायगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ (क्रमांक १ सन् १९७२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय इस बात का हकदार नहीं होगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी जानकारी के संबंध में साक्ष्य देने या इस प्रकार अभि-लेखबद्ध किये गये या संग्रहीत किये गये साक्ष्य को पेश करने के लिये विवश करे. जानकारी का गुप्त रखा जाना.

(२) उपधार (१) में की कोई भी बात,—

(क) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये या उसके बारे में दी जाने वाली किसी रिपोर्ट में या ऐसी रिपोर्ट के बारे में की जाने वाली किसी कार्यवाही या की जाने वाली किन्हीं कार्यवाहियों के लिये; या

(ख) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, १९२३ (क्र. १९ सन् १९२३) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के किसी अपराध के लिये किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये या धारा १५ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये; या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो कि विहित किये जायें,

किसी जानकारी या विशिष्टियों के प्रकटन को लागू नहीं होगी.

(३) कोई अधिकरी या अन्य प्राधिकारी, जो इस संबंध में विहित किय जाये, यथास्थिति लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को लिखित सूचना, सूचन में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी के संबंध में या इस प्रकार विनि-र्दिष्ट की गई दस्तावेजों के किसी वर्ग के संबंध में, इस प्रभाव की दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में उन दस्तावेजों या जानकारी का या उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी का प्रकटन लोक हित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसी सूचना दी गई हो, वहां इस अधिनियम में कि किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगायाजायगा कि वह लोक-आयुक्त, उप-लोक आयुक्त या उनके कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को इस बात के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित करती है कि वह किसी भी व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट की गयी किसी दस्तावेज या जानकारी की या इस प्रकार विनिर्दिट किये गये वर्ग की किसी दस्तावेज या जानकारी की सूचना दे.

१५. (१) जो कोई, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का, जब कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो, कोई अपमान साशय करेगा या उसके लिये कोई विघ्नकारित करेगा, वह, दोषसिद्ध पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायगा. लोकआयुक्त या उप-लोक आयुक्तों का साशय अपमान या उसको/उनको विघ्न पहुंचाना या उसको/उनको बदनाम करना.

(2) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा, कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो कि

लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को बदनाम करने के लिये प्रकल्पित हो या धारा १० की उपधारा (१) के अधीन प्राइवेट में संचालित किये गये अन्वेषण से संबंधित किन्हीं भी कार्यवाहियों को प्रकाशित करेगा या यह प्रकट करेगा कि परी-वादी कौन है या यह प्रकट करेगा कि ऐसे अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक कौन है वह, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दंडित किया जायेगा.

(३) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १९७३ (क्रमांक २ सन १९७४) की धारा १९९-ख के उपबन्ध उप धारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी अपराध के संबंध में, इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि—

(क) लोक आयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध की दशा में, लोक आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना;

(ख) किसी उप-लोकआयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध की दशा में, संबंधित उप लोक आयुक्त की पूर्व शंजूरी के बिना,

लोक अभियोजक ऐसे अपराध के संबंध में कोई शिकायत नहीं करेगा, उसी प्रकार लागूहोंगे जिस प्रकार कि वे उक्त धारा १९९-ख की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं.

संरक्षण.

१६. (१) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के विरुद्ध या धारा १३ में निर्दिष्ट किये गये किसी अधिकारी, कर्मचारी, अधिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

(२) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्तों की कोई भी कार्यवाहियां प्ररुपिता के अभाव में दोषपूर्ण नहीं ठहरायी जायेंगीं तथा लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्तों की कोई भी कार्यवाहियां या विनिश्चय, अधिकारीका के आधार पर के सिवाय, किसी भी न्यायालय में चुनौती दिए जाने, पुनर्विलोकित किये जाने, अभिखंडित किये जाने या प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगा/होगी.

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदत्त किया जाना आदि.

१७. (१) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, तथा लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, यथास्थिति लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को व्यथाओं के प्रतितोष तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायं, प्रदत्त कर सकेगा.

(२) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा, तथा लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोक आयुक्त या किसी उपलोक आयुक्त को उन अभिकरणों, प्रधिकारियों या अधिकारियों के संबंध में, जो व्यथाओं के प्रतितोष तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापिन, गठित या नियुक्त किये गये हों, पर्यवेक्षी प्रकार की शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा.

(३) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, लोक आयुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके कि

संबंध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त की शिकायत की जा सकती हो) अन्वेषण करे, और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा :

परन्तु लोक आयुक्त किसी भी ऐसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो जिसके कि संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी उप-लोक आयुक्त को शिकायत की जा सकती हो) अन्वेषण किसी उप-लोक आयुक्त को सौंप सकेगा.

(४) जब लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदत्त किये जायं या जब लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को उपधारा (३) के अधीन किसी कार्रवाई का अन्वेषण करना हो, तो लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका कि प्रयोग तथा निर्वहन वह ऐसी शिकायत के, जिसमें यथास्थिति कोई व्यथा या अभिकथन अन्तर्वलित हो, किये जाने पर किये गये किसी अन्वेषण के मामले में करता, और इस अधिनियम के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे.

लोक आयुक्त सुझाव देगा.

१७-(क) यदि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य के निर्वहन में लोक आयुक्त के ध्यान में कोई ऐसी पद्धति या प्रक्रिया आये जो कि उसकी राय में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के लिये अवसर प्रदान करती है, तो वह उसे सरकार के ध्यान में ला सकगा तथा उक्त पद्धति या प्रक्रिया में ऐसा सुधार करने का, जिसे कि वह उचित समझे, सुझाव दे सकेगा.

लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों का अपवर्जन करने की शक्ति.

१८. (१) राज्य सरकार, लोक आयुक्त की सिफारिश पर तथा यह समाधान हो जाने पर कि वैसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा, लोक सेवकों के किसी ऐसे वर्ग के, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली ऐसी शिकायतों को, जिनमें व्यथा या अभिकथन या दोनों अन्तर्वलित हों, लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त की अधिकारिता में से अपवर्जित कर सकेगी :

परन्तु कोई भी ऐसी अधिसूचना ऐसे लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जायगी जो ऐसे पद धारण करते हों जिनका कि न्यूनतम मासिक वेतन (भत्तों को छोड़कर) सात सौ पचास रुपये या उससे अधिक हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, उस समय जबकि उसका सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और यदि उस सत्र का, जिसमें कि वह इस प्रकार रखी गई हो, या उसके ठीक पश्चात्, आने वाले सत्र का अवसान होने के पूर्व, सदन उस अधिसूचना में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जाय या इस बात के लिये सहमत हो जाय कि वह अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिये और ऐसा विनिश्चय शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर दे, तो वह अधिसूचना, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से यथास्थिति केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस तरह का कोई भी ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.

प्रत्यायोजित करने की शक्ति.

१९. लोकआयुक्त या कोई उप-लोकायुक्त, साधारण या विशेष आदेश जो लिखित में होगा, द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि [धारा १० की उपधारा (४) के अधीन प्रदत्त शक्ति के सिवाय तथा धारा १२ के अधीन राज्यपाल को रिपोर्ट करने की शक्ति के सिवाय] किन्हीं ऐसी शक्तियों या कर्त्तव्यों का, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस प्रदत्त की गई है या उस पर अधिरोपित किये गये हैं, धारा १३ में निर्दिष्ट किये गये अधिकारियों, कर्मचारियों या अभिकरणों में से ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों या अभिकरणों द्वारा भी, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

२०. (१) राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगा.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेंगे—

(क) वे प्राधिकारी जिनका कि धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखंड (दो) के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है;

(ख) लोक आयुक्त तथा उप-लोकआयुक्तों को देय भत्ते तथा पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) वह प्ररुप जिसमें शिकायतें की जा सकेंगी और वह फीस, यदि कोई हो, जो कि उनके संबंध में प्रभारित की जा सकेगी;

(घ) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जिनका कि प्रयोग लोकआयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त द्वारा किया जा सकेगा;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय या जिसके कि बारे में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो या ऐसा उपबन्ध किया गया हो जो अपर्याप्त है और जिसके कि बारे में उपबन्ध करना, राज्यपाल की राय में, इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हो.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायंगे.

शंकाओं का निराकरण.

२१. शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त या किसी उप-लोकआयुक्त को किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है कि जो—

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा १९ में यथापरिभाषित किसी न्यायाधीश द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो;

(ख) भारत के किसी न्यायालय के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा या उसके अनमोदन से की गई हो–

(ग) महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा या उसके अनमोदन से की गई हो;

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो;

(ङ) मुख्य निर्वाचन-आयुक्त, निर्वाचन-आयुक्तों तथा प्रादेशिक आयुक्तों जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट है। हैं, तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा या उसके अनमोदन से की गई हो ;

(च) मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो–

(छ) मध्यप्रदेश विधान सभा के साचिविक कर्मचारीवृन्द के किसी दस्य द्वारा या उसके अनुमोदन से की गई हो.

व्यावृत्ति.

२२. इस अधिनियम के उपवन्ध किसी अन्य अधिनियमिति के या विधि के, किसी नियम के उन उपवन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके कि अधीन अपील पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के रूप में या किसी अन्य रीति में कोई उपचार किसी कार्रवाई के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को उपलभ्य हो, और इस अधिनियम में की कोई भी वात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित नहीं करेगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी.

सतर्कता आयुक्त के समक्ष लम्बित शिकायतों के अन्तरण और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व निपटाई गई शिकायतें ग्रहण करने का प्रतिषेध

२३. (१) ऐसी समस्त शिकायतें, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व सतर्कता आयुक्त के समक्ष लम्बित हों, ऐसा प्रारंभ होने पर यथास्थिति लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त को अन्तरित हो जायगी और तदुपरि उनका निपटारा लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त द्वारा इस प्रकार किया जायगा मानों कि वे इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा ग्रहण की गई शिकायते हों.

(२) कोई भी ऐसी शिकायत, जो कि सतर्कता आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व निपटाई जा चुकी हो, लोक आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन ग्रहण नहीं की जायगी :

परन्तु यथास्थिति लोक आयुक्त या उप-लोकआयुक्त, यदि वह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी भी ऐसी शिकायत का जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व के दो वर्षों की कालावधि के भीतर सतर्कता आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप से निपटाई गई हो, अन्वेषण कर सकेगा.

प्रथम अनुसूची

[धारा ३ (२) देखिए]

मैं .... जो लोकआयुक्त/उप-लोकआयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा.

द्वितीय अनुसूची

[धारा ५ (४) देखिए]

लोकआयुक्त तथा उप-लोकआयुक्तों को वास्तविक सेवा में बिताये गये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रतिमास वेतन दिया जायगा, अर्थात् :—

लोक-आयुक्त	४,००० रुपये
उप-लोक आयुक्त	३,५०० रुपये

परन्तु यदि लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी सरकार के अधीन की गई पूर्व सेवा के बारे में निर्योग्यता या तपेंशन (भिन्न) कोई पेंशन मिलती हो, तो लोक आयुक्त या यथास्थिति उप-लोक आयुक्त के रूप में सेवा के बारे में उसके वेतन में से--

(क) उस पेंशन की रकम, और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में आने को देय पेंशन के एक प्रभाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त कर लिया है, तो पेंशन के उस प्रभाग की रकम, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति उपदान प्राप्त कर लिया है, तो उस उपदान की समतुल्य पेंशन,

घटा दी जायगी.

तृतीय अनुसूची

[धारा ८ (१) (क) देखिये]

(क) [अपराध का अन्वेषण करने या] राज्य की सुरक्षा की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिये की गई कार्रवाई.

[(ख) इस बात का अवधारण करने के सम्बन्ध में कि क्या कोई मामला न्यायालय को भेजा जाय या नहीं, शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कार्रवाई.]

(ग) उन मामलों में, जो कि ग्राहकों या प्रदायकों के साथ प्रशासन के स्पष्टत: वाणिज्यिक सम्बन्धों को शासित करनेवाली किसी संविदा के निबन्धनों से उद्‌भूत होते हैं, की गई कार्रवाई सिवाय उस मामले के जहाँ कि परिवादी ने संविदात्मक बाध्यताओं की पूर्ति करने में उत्पीड़न या अत्यधिक विलम्ब किये जाने का अभिकथन किया हो.

(घ) लोक सेवकों की नियुक्तियों, उनके हटाये जाने, उनके वेतन, अनुशासन, अधिवार्षिकी या उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई, किन्तु जिसके अन्तर्गत पेंशन, उपदान, भविष्य निधि सम्बन्धी दावों से या किन्हीं ऐसे दावों से, जो सेवा-निवृत्त पर, हटाये जाने पर या सेवा की समाप्ति होने पर उद्‌भूत होते हो, संबंधित कार्रवाई नहीं आती.

(ङ) सम्मान तथा पुरस्कार का प्रदान किया जाना.

परिशिष्ट १

(प्रतिवेदन की कण्डिका २ देखिये)

प्रवर समिति को सौंपने हेतु विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

"मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७४ प्रवर समिति को सौंपा जावे, जिसके सदस्य,—

१. श्री नित्येन्द्रनाथ शील
२. श्री रामचन्द्र बाजपेयी
३. श्री रघुवर दयाल रसोइया
४. श्री मधुकर मरमट
५. श्री प्रतापसिंह बघेल
६. श्री कस्तूरचन्द चौधरी
७. श्री मृगेन्द्रसिंह
८. श्री बोधराम कंवर
९. श्री हीराराम वर्मा
१०. श्री सत्यनारायण सिंह
११. श्री गोपालदास चौधरी
१२. श्री इनायत उल्ला खां तरज़ी मशरिकी
१३. श्रीमती नारायणी देवी झा
१४. श्री कन्हैयालाल शर्मा
१५. श्री एन. व्ही. रमन
१६. श्री शीतला सहाय
१७. श्री लरंग साय
१८. श्री सीताराम ढांडी
१९. श्री सुधीर मुकर्जी
२०. श्री लक्ष्मीनारायण नायक
२१. श्री नरबदा प्रसाद श्रीवास्तव

होंगे"

परिशिष्ट २

(प्रतिवेदन की कण्डिका ५ देखिये)

उन व्यक्तियों के नाम जिनसे सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई थी.

अनुक्रमांक	नाम व पता
(१)	(२)
१	श्री भगवानदास गुप्ता, बालाबाई के फाटक के पास, लश्कर, ग्वालियर.
२	श्री सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन, सरगुजा (अम्बिकापुर) (एम. पी.)
३	राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल.

परिशिष्ट ३

(प्रतिवेदन की कंडिका ७ देखिये)

समिति द्वारा महाराष्ट्र (बम्बई) व राजस्थान (जयपुर) राज्यों के लोक आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों जिन से चर्चा हुई की सूची

अनुक्रमांक	व्यक्ति/संस्था का नाम
(१)	(२)
	महाराष्ट्र
१	श्री डी. डी. साठे, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन.
२	श्री के. जी. परांजपे, सचिव, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
३	श्री श्रीप्रभाकर, सचिव, महाराष्ट्र शासन, खाद्य एवं नगर पूर्ति विभाग.
४	श्री एम. डी. काले, सचिव, महाराष्ट्र शासन, बिल्डिंग्स और कम्युनिकेशन विभाग.
५	श्री एस. पी. कोतवाल, लोक आयुक्त, महाराष्ट्र.
	राजस्थान
६	श्री एस. एल. खुराना, मुख्य सचिव, राजस्थान प्रशासन.
७	श्री रामसिंह, गृह आयुक्त, राजस्थान प्रशासन.
८	श्री वी. हूजा, ग्रीवान्सेज कमिश्नर
९	श्री इन्द्रदेव हुआ, लोक आयुक्त, राजस्थान.
१०	श्री एच. एस. रावत, सचिव.
११	श्री जे. एन. आर. गौर, उपसचिव, लोक आयुक्त.

शाकेमुभो--2763--प्रविस--2-4-75--700.